

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म.प्र.)**


**// आदेश //**

क्रमांक : तमू 91/2021 (कोविड-19)

उज्जैन, दिनांक 30.04.2021

उज्जैन जिले में कोविड-19 के बढ़ते गंभीर संक्रमण को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशगण एवं उनके परिवारजन तथा न्यायिक कर्मचारीगण के कोरोना वायरस से संक्रमित होने व संक्रमण के गंभीर स्थिति के परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा ए.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 को जारी की गई है। जिराके पालन में जिला एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं उनके परिवारजन तथा न्यायिक कर्मचारीगण के कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उनकी उचित जांच/उपचार/चिकित्साकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सहायता के लिये निम्नानुसार "कोविड-19 अनुपालन कमेटी" गठित की जाती है, जो जिला एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण एवं उनके परिवारजन तथा न्यायिक कर्मचारीगण के कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उनकी जांच, चिकित्साकीय उपचार, चिकित्सालय में भर्ती कराये जाने के संबंध में संबंधित प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क कर उनकी सहायता करेंगे :-

क्रमांक.	कोविड-19 अनुपालन कमेटी सदस्य	मोबाईल नम्बर
1	श्री अरविन्द रघुवंशी अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन (म.प्र.)	9425380762
2.	श्री संकषर्ण प्रसाद पाण्डेय जिला सजिस्ट्रार/न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन(म.प्र.)	9752256381
3	श्री अतुल सादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)	9826650600


  
/ 30/4/21 /  
श्री अरविन्द प्रताप सिंह  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक : क्यू 31/2021 (कोविड-19)

उज्जैन, दिनांक 30.04.2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला उज्जैन को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कोविड-19 महामारी से संबद्ध जिले के प्राधिकारियों एवं ड्रग इंस्पेक्टर को तत्संबंध में निर्देश जारी करे कि वे कोविड-19 अनुपालन कमेटी उज्जैन को आवश्यकतानुसार सहयोग/सुविधाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री अरविन्द रघुवंशी, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य कोविड-19 अनुपालन कमेटी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री संकर्षण प्रसाद पांडेय, जिला रजिस्ट्रार/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन/सदस्य कोविड-19 अनुपालन कमेटी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री अतुल यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन/सदस्य कोविड-19 अनुपालन कमेटी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त न्यायिक अधिकारी, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बडनगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुविभाग, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बडनगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. आयुक्त, नगर पालिका निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. कोर्ट मेनेजर, जिला उज्जैन,
12. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर जिला न्यायालय उज्जैन ।  
की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि वे कोरोना मरीजों की सूची एवं तत्संबंधी जानकारी कोविड-19 अनुपालन कमेटी उज्जैन को तत्काल उपलब्ध करावे।
13. प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुविभाग, उज्जैन की ओर आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे आदेश की उपरोक्तानुसार प्रति सर्व संबंधित को ई-मेल/वाट्सअप द्वारा सूचित करे।

  
/ 30/4/21 /  
(गिरेन्द्र प्रताप सिंह)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
उज्जैन (म.प्र.)